

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 487 / 08

संस्थापन दिनांक:-15 / 12 / 08

फाईलिंग नं. 233504000062008

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

1. प्रकाश पिता ठोटा, उम्र 21 वर्ष,
 2. ठोटा पिता श्यामलाल यादव, उम्र 60 वर्ष
 3. अर्जुन पिता ठोटा यादव, उम्र 19 वर्ष
 4. ओमकार पिता ठोटा यादव, उम्र 26 वर्ष
 5. दीपक पिता ढोन्डू यादव, उम्र 20 वर्ष
 6. रमेश पिता ढोन्डू यादव, उम्र 35 वर्ष
 7. बली पिता ढोन्डू यादव, उम्र 25 वर्ष
- सभी निवासी ग्राम डोडावानी,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 22.06.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 148, 452, 323/149(पांच काउंट में), 325/149, 427, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 02.11.2008 को 07:30 बजे ग्राम डोडावानी में सूचनाकर्ता बट्टीनाथ का घर आरक्षी केंद्र आमला जिला बैतूल में लोक स्थान या उसके समीप प्रार्थी बट्टीनाथ को अश्लील शब्द मां बहन की गालियां उच्चारित कर क्षोभ पहुंचाया एवं सूचनाकर्ता बट्टीनाथ, मेमवती, भग्गोबाई, रामनाथ, भागरतीबाई, कंचन को उपहतियां एवं घोर उपहतियां कारित करने के सामान्य उद्देश्य से एकत्रित होकर विधि विरुद्ध जमाव कर उक्त उद्देश्य के अग्रसरता में बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा किया और वे घातक आयुध कुल्हाड़ी से सुसज्जित थे एवं सूचनाकर्ता बट्टीनाथ, मेमवती, भग्गोबाई, रामनाथ, भागरतीबाई, कंचन को उपहति कारित करने या उन पर हमला करने या उनका सदोष अवरोध करने की अथवा उनको उपहति के या हमले के या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके गृह अतिचार कारित किया एवं अवैध समूह के सदस्य होते हुए सामान्य उद्देश्य की अग्रसरता में बट्टीनाथ, मेमवती,

भग्गोबाई, रामनाथ, भागरतीबाई, कंचन को स्वेच्छया उपहति कारित की एवं अभियुक्त प्रकाश ने रामनाथ को स्वेच्छया गंभीर उपहति कारित की एवं सूचनाकर्ता बद्रीनाथ के घर में रखी एक टेलीफोन क्लासिक कम्पनी, मोटर सायकिल टीवीएस स्टार के इन्डीकेटर एवं मकान के 50-60 कवेलू, एक सीमेंट सीट कुल कीमती 3,000/- रुपये की रिष्टि की तथा सूचनाकर्ता बद्रीनाथ को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि अपचारी बालक बड़ो उर्फ नीतेश पिता रमेश यादव के विरुद्ध किशोर न्यायालय में पृथक से अभियोग पत्र पेश किया गया है।

3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 02.11.2008 को शाम करीब 6 बजे फरियादी की गन्नाबाड़ी में अभियुक्त ठोटा की तीन भैंस घुस कर चर रही थी जिस पर फरियादी बद्रीनाथ ने भैंसों को गन्नाबाड़ी से निकाल दिया और अभियुक्त ठोटा के लड़के प्रकाश को भैंस बांधने के लिए कहा जिस पर अभियुक्त प्रकाश ने कहा कि मेरी भैंस नहीं मिल रही है और इसी बात पर से गालियां देने लगा। तभी वहां अभियुक्त ओमप्रकाश आया फिर दोनों गाली गलौच कर चले गये। उसी दिन रात्रि करीब 07:30 बजे जब फरियादी उसके परिवार सहित घर पर था तब सभी अभियुक्तगण एकराय होकर हाथ में लाठी, कुल्हाड़ी लेकर आये और सभी मादरचोद, बहनचोद की गालियां देकर घर के अंदर गये और फरियादी को तथा उसके पिता रामनाथ, पत्नी मेमवती, मां भग्गो, भागरती, बहन कंचन, मालती को मारपीट किये जिससे उसे बांये हाथ की कलाई में चोट लगी। मां भग्गो को बांये पैर, पसली, सीना, पीठ पर, पत्नी मेमवती को दांहिने हाथ की कलाई, बहन कंचन को बांये सिर तथा पिता रामनाथ, मां भागरती को भी चोट लगी। घर के कवेलू, बल्ब, मोटर सायकिल की लाईट, टेलीफोन की तोड़फोड़ कर नुकसान किया। सभी अभियुक्तगण ने जान से मारने की धमकी भी दी।

4 फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्र. 474/08 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी एवं आहतगण का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त अर्जुन, ठोटा, ओमकार, दीपक से एक-एक बांस का डंडा एवं अभियुक्त प्रकाश से एक कुल्हाड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक बनाये गये। घटना स्थल का नुकसानी पंचनामा बनाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। आहत रामनाथ की एक्सरे रिपोर्ट में अस्थिभंग पाया जाने से अभियोग पत्र में धारा 325 भा.दं.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र

न्यायालय में पेश किया गया।

5 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

6 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी बद्रीनाथ के प्रति अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या ऐसा लोक स्थान पर किया गया था ?
3. क्या इससे सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने अपराध कारित करने के सामान्य उद्देश्य से एकत्रित होकर विधिविरुद्ध जमाव किया था ?
5. क्या ऐसे जमाव के किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया गया था ?
6. क्या जमाव के सदस्य घातक आयुध कुल्हाड़ी से सुसज्जित थे ?
7. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी बद्रीनाथ के घर में उसकी अनुमति के बिना प्रवेश किया था ?
8. क्या अभियुक्तगण ने उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् किया ?
9. क्या घटना के समय अभियुक्तगण अथवा उनमें से किसी ने भी बद्रीनाथ, मेमवती, भग्गोबाई, रामनाथ, भागरतीबाई, कंचन के साथ मारपीट कर उसे उपहति कारित की थी ?
10. क्या घटना के समय अभियुक्तगण अथवा उनमें से किसी ने भी आहत रामनाथ के साथ मारपीट कर उसे घोर उपहति कारित की थी ?

11 क्या ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छा किया गया था ?

12 क्या ऐसा उक्त विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के क्रियान्वयन में किया गया था ?

13 क्या अभियुक्तगण ने फरियादी बद्रीनाथ के सामान, टेलीफोन, मोटर सायकल, मकान के कवेलू, सीमेंट शीट को तोड़कर नुकसान कारित किया ?

14 क्या अभियुक्तगण ने फरियादी बद्रीनाथ को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी दी थी ?

15. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 14 का निराकरण

15 बद्रीनाथ (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने मादरचोद बहनचोद, मां की चूत की गालियां दी थी। साक्षी भागवती (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त प्रकाश ने उसके लड़के को मादरचोद की गालियां दी थी जो सुनने में बहुत गंदी लगी थी। रामनाथ (अ.सा.-2) का कहना है कि घटना के समय अभियुक्तगण मां बहन की गालियां दे रहे थे। मेमवती का कहना है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने मादरचोद बहनचोद की गालियां दी थी। भागरती (अ.सा.-6), कंचन (अ.सा.-10) एवं ईमाबाई (अ.सा.-11) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने गंदी गंदी गालियां दी थी।

16 बद्रीनाथ (अ.सा.-4) एवं भागवती (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय मादरचोद बहनचोद, मां की चूत की गंदी गंदी गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं। विधि में अश्लीलता की जो परिसंकल्पना धारा 294 द्वारा की गयी है उसका अभिप्राय ऐसे शब्दों से है जो शब्द सुनने वाले व्यक्ति के उपर प्रतिकूल प्रभाव डाले, उसे दूषित अवन्ति की ओर ले जायें, उसमें कामुकता यौन मनोव्यय को पैदा करे लेकिन फरियादी द्वारा बताये गये शब्द इस स्वरूप के नहीं हैं। इस संबंध में न्याय दृष्टांत सोबरन विरुद्ध म.प्र. राज्य 1967 जे.एल.जे. शार्ट नो. 135, विष्णु प्रसाद विरुद्ध म.प्र. राज्य 1971 जे.एल.जे. शार्ट नो. 148

अवलोकनीय है। इस प्रकार उपर्युक्त न्याय दृष्टांत एवं उनमें प्रतिपादित सिद्धांत तथा साक्ष्य के विश्लेषण से यह तथ्य सिद्ध नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा दी गयी गालियों से किसी व्यक्ति को क्षोभ या संत्रास कारित हुआ हो।

17 बद्दीनाथ (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण जाते-जाते धमकी दे रहे थे कि मर्डर कर देंगे। इस संबंध में रामनाथ (अ.सा.-2) ने प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण मारके फेंकने की धमकी दी थी। साक्षी मेमवती (अ.सा.-5) ने व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने जाते-जाते जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित करने के संबंध में अन्य किसी अभियोजन साक्षीगण ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन नहीं किये हैं। यद्यपि साक्षी बद्दीनाथ (अ.सा.-4) ने घटना के समय अभियुक्तगण द्वारा मर्डर करने की धमकी दिया जाना, रामनाथ (अ.सा.-2) ने अभियुक्तगण द्वारा मारके फेंकने की धमकी दिया जाना तथा मेमवती (अ.सा.-5) जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु अभियुक्तगण द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्तगण का उनके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। अतः मारपीट के समय दी गई धौंस मात्र से धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04 लगायत 10 का निराकरण

18 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का समुचित क्रम बंधन व सम्यक विवेचना करने एवं साक्ष्य विवेचना की पुनरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से उपर्युक्त विचारणीय बिंदुओं का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

19 बद्दीनाथ (अ.सा.-4) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना उसके घर की शाम 07:30 बजे की है। घटना के कुछ समय पूर्व उसकी गन्ना बाड़ी में अभियुक्त प्रकाश की भैंस घुस गयी थी और फसल चर रही थी तो उसने मना किया था। साक्षी ने आगे यह बताया है कि जब वह घर आ गया तब सभी अभियुक्तगण उसके घर के अंदर लाठी और कुल्हाड़ी लेकर घुसे तथा उसे, उसकी पत्नी, मां, पिता एवं बहन के साथ मारपीट की। साक्षी ने आगे यह बताया है कि मारपीट से उसके बांये हाथ, दांये पैर एवं छाती में चोट आयी थी। उसके पिता रामनाथ की तीन जगह से हड्डी टूट गयी थी। फिर उसने घटना की रिपोर्ट थाने में की थी जहां पर सभी का मेडिकल मुलाहिजा हुआ था और पिता का एक्सरे हुआ था।

20 भागवतीबाई (अ.सा.-1), रामनाथ (अ.सा.-2), मेमवती (अ.सा.-5), भागरती (अ.सा.-6), कंचन (अ.सा.-10) ने न्यायालयीन परीक्षण में फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियुक्तगण को जानने प्रकट किया है। साथ ही यह बताया है कि घटना उनके घर की शाम 7 बजे के लगभग की है। रामनाथ (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि घटना के समय उसका पूरा परिवार घर पर था। अभियुक्त ठोटा, प्रकाश, ओमकार, अर्जुन, दीपक घर पर आये। अभियुक्त प्रकाश के हाथ में कुल्हाड़ी और अन्य अभियुक्तगण के हाथ में लाठियां थी। साक्षी ने यह भी बताया है कि घर के अंदर अभियुक्त प्रकाश और ठोटा ने उसके दांये हाथ, पीठ, पसली, बांये हाथ की कलाई में मारा था। मारपीट से उसका हाथ टूट गया था। अभियुक्तगण ने उसकी दोनों पत्नी, पुत्री, लड़का, बहू के साथ मारपीट की थी जिससे लड़के बहू को हाथ में, पुत्री कंचन के सिर पर तथा पत्नी भग्गो के पैर व सिर पर चोट आयी थी।

21 भागवती बाई (अ.सा.-1) ने अपने परीक्षण में यह बताया है कि घटना के ठीक पहले अभियुक्त प्रकाश ने गन्नाबाड़ी में भैंस छोड़ दिया था। उसके बेटे बद्रीनाथ ने भैंस को भगा दिया था। अभियुक्त प्रकाश घर पर भैंस के बारे में पूछने आया था। इसके बाद वह चला गया और अपने साथ अभियुक्त ठोटा, ओमकार, अर्जुन, रमेश, बली, दीपक को लेकर आया। सभी अभियुक्तगण हाथ में लठ कुल्हाड़ी लेकर एकराय होकर घर में आये। अभियुक्त अर्जुन ने उसके पति रामनाथ को और अन्य अभियुक्तगण ने लाठी से उसके पति एवं मेमवती, भग्गो, कंचन के साथ मारपीट किये। साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि मारपीट से रामनाथ, मेमवती और उसकी हड्डी टूट गयी थी।

22 मेमवती (अ.सा.-5), भागरती (अ.सा.-6) एवं कंचन (अ.सा.-10) का कहना है कि अभियुक्तगण हाथ में लाठी, कुल्हाड़ी लेकर घर पर आये थे। उपर्युक्त साक्षीगण का यह भी कहना है कि मारपीट उसे उन्हें भी चोट आयी थी। कंचन (अ.सा.-10) ने यह भी बताया है कि अभियुक्त ओमकार ने लाठी से उसके बांये कान पर मार दिया था जिससे उसे चोट आयी थी।

23 रामदयाल (अ.सा.-8) एवं ईमाबाई (अ.सा.-11) ने बताया है कि आवाज सुनकर वे फरियादीगण के घर पर आये तब उन्होंने देखा कि अभियुक्तगण ने बद्रीनाथ का घर घेर लिया था और ईंट फेंककर मार रहे थे। रामदयाल (अ.सा.-8) ने यह भी बताया है कि अभियुक्त ठोटा ने बद्रीनाथ को ईंट फेंककर मारा था तथा सभी अभियुक्तगण ने रामनाथ, उसकी पत्नी, बेटा, बहू और पुत्री के साथ मारपीट किये थे। ईमाबाई (अ.सा.-11) ने यह बताया है कि उसने और उसके पति रामदयाल ने बीच बचाव किया था। मुकेश (अ.सा.

-14) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने रामनाथ तथा उसके परिवार के लोगों को मारा था, उसने घटना देखी थी। वह घायलों को लेकर आमला अस्पताल आया था।

24 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-17) ने दिनांक 03.11.2008 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को **आहत बद्रीनाथ** का चिकित्सकीय परीक्षण किये जाने पर आहत की अग्रभुजा पर 4 गुणा 2 सेमी. आकार की सूजन एवं दर्द एवं छाती के मध्य 3 गुणा 2 सेमी. आकार का कंटुजन एवं बांये पैर में दर्द पाया था, **आहत मेमवती** के चिकित्सकीय परीक्षण किये जाने पर आहत के दाहिने हाथ की कलाई के जोड़ एवं हथेली पर 3 गुणा 3 गुणा 2 सेमी. आकार का फटा हुआ घाव एवं सूजन, बांयी जांघ में दर्द पाया था, **आहत भग्गोबाई** के चिकित्सकीय परीक्षण करने पर आहत की बांयी जांघ पर 6 गुणा 3 सेमी. आकार का कंटुजन, पेट के बांये तरफ 3 गुणा 3 सेमी. आकार का कंटुजन, छाती के बांये तरफ 3 गुणा 2 सेमी. आकार का कंटुजन एवं पीठ में दर्द पाया था तथा **आहत कंचन** का चिकित्सकीय परीक्षण करने पर आहत के बांये कान के पीछे 3 गुणा 2 गुणा 1 सेमी. आकार का फटा हुआ घाव एवं छाती में दर्द था। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी चिकित्सकीय रिपोर्ट प्रदर्श पी-21, प्रदर्श पी-22, प्रदर्श पी-23 एवं प्रदर्श पी-24 को प्रमाणित किया है।

25 डॉ. बी.पी. चौरिया (अ.सा.-18) ने दिनांक 03.11.2008 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को **आहत रामनाथ** का चिकित्सकीय परीक्षण करने पर आहत की छाती के बांयी तरफ 3 गुणा 3 चौथाई इंच, 1 गुणा 1 इंच, बांये हाथ के पीछे 1 गुणा 1 इंच एवं दाहिनी अग्रभुजा के पीछे तरफ 2 गुणा 2 इंच आकार की सूजन पायी थी। साक्षी ने प्राथमिक उपचार पश्चात आहत को एक्सरे एवं ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय भेजा जाना बताया है। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि **आहत भागरती** के चिकित्सकीय परीक्षण करने पर आहत की छाती के बीच वाले भाग में 1 गुणा 1 इंच आकार का रगड़ा पाया था। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी-25 एवं प्रदर्श पी-26 को प्रमाणित किया है।

26 डॉ. ओ.पी. यादव (अ.सा.-15) ने उसके न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 03.11.2008 को जिला चिकित्सालय बैतूल में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए आहत मेमवती, बद्री, भग्गोबाई एवं रामनाथ का एक्सरे परीक्षण करना बताते हुए आहत मेमवती, बद्री, भग्गोबाई के एक्सरे में कोई अस्थिभंग न होना प्रकट करते हुए आहत रामनाथ की एक्सरे प्लेट क्र. 4457 में आहत की छाती के एक्सरे में बांयी तरफ की नवमीं पसली टूटी होना, दांयी अग्र भुजा के एक्सरे में अलना हड्डी टूटी होना तथा बांये हाथ के एक्सरे में

दूसरी मेटाकार्पल टूटी होना प्रकट करते हुए उसके द्वारा दी गयी एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-17 लगायत प्रदर्श पी-20 को प्रमाणित किया है।

27 आर.एस. मिश्रा (अ.सा.-3) ने दिनांक 03.11.2008 को पुलिस थाना आमला में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को फरियादी बद्रीनाथ के द्वारा रिपोर्ट लेखबद्ध कराये जाने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्र. 474/08 में प्रदर्श पी-1 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध किया जाना प्रकट करते हुए उसे प्रमाणित किया है।

28 **बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि** प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है तथा फरियादी एवं आहतगण तथा साक्षी ईमाबाई एवं रामदयाल एक ही परिवार के होकर हितबद्ध साक्षी हैं तथा उनके कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है जिससे अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

29 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्र साक्षी पांडू (अ.सा.-7) एवं राकेश (अ.सा.-9) तथा सुरेश (अ.सा.-13) ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। सुरेश (अ.सा.-13) ने जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-7 लगायत प्रदर्श पी-11 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-12 लगायत प्रदर्श पी-16 पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा उपर्युक्त साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षियों से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है परंतु मात्र उपर्युक्त साक्षियों के घटना का समर्थन न किये जाने से ही संपूर्ण अभियोजन का मामला संदेहास्पद नहीं हो जाता है। सामान्यतः दो पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने पर तीसरा पक्ष उनके मध्य साक्ष्य देने से बचता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **Mohammad Mian Vs. State of Uttar Pradesh (2011) 2 SCC 721** में प्रतिपादित निम्नलिखित पद का उद्धरण किया जाना प्रासंगिक है जिसके अनुसार *"We cannot, however, ignore the sad but basic truth that the so-called independent witnesses tend to stay far away and are not willing to come forth as they often face grave consequences."*

30 **बचाव अधिवक्ता का यह तर्क कि** अभियोजन साक्षीगण के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। इस संबंध में फरियादी बद्रीनाथ (अ.सा.-4), भागवती (अ.सा.-1), रामनाथ (अ.सा.-2), मेमवती (अ.सा.-5), भागरती (अ.सा.-

-6) ने न्यायालयीन परीक्षण में घटना के दिन अभियुक्तगण का उनके घर पर आना तथा उनकी मारपीट की जाना बताया है। भागवतीबाई (अ.सा.-1) ने यह बताया है कि अभियुक्त प्रकाश, अभियुक्त ठोटा, ओमकार, अर्जुन, रमेश, बली, दीपक को साथ में लेकर हाथ में लठ और कुल्हाड़ी लिये आये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी पूर्णतः अखंडित रही है। रामनाथ (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त दीपक, रमेश, बली ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी परंतु साक्षी ने स्वतः में यह बताया है कि अभियुक्तगण आये जरूर थे लेकिन मारपीट किसने की उसने नहीं देखा। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसे ध्यान नहीं है कि अभियुक्त दीपक, रमेश, बली घर में घुसे थे या नहीं। पैरा क्र. 07 में साक्षी ने यह बताया है कि घर के अंदर अभियुक्तगण ने मारपीट की थी, वह बेहोश हो गया था, किस-किसने मारपीट की थी उसे जानकारी नहीं है। बद्रीनाथ (अ.सा.-4) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि पहले अभियुक्त प्रकाश ने उसे आंगन में मारा फिर उसके पिता को अभियुक्त ठोटा, अर्जुन, प्रकाश, ओमकार ने मारा था। सभी अभियुक्तगण ने मिलकर उसके परिवार को भी मारा था। मेमवती (अ.सा.-5) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह खाना बना रही थी। सभी अभियुक्तगण घर में घुस गये थे। वह लाईट न होने के कारण यह नहीं देख पायी कि उसे चोट कैसे आयी थी।

31 भागरती (अ.सा.-6) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव के इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने शक के आधार पर अभियुक्तगण का नाम रिपोर्ट में लिखाया था। साक्षी का आगे यह कहना है कि उसने यह बता दिया था कि उसे सभी अभियुक्तगण ने मारा था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 05 में साक्षी ने इस सुझाव को भी गलत बताया है कि उसने केवल अभियुक्त ठोटा और ओमकार का नाम बताया था। पैरा क्र. 08 में साक्षी ने यह बताया है कि घटना के समय गांव के बहुत सारे लोग थे और उसने अभियुक्तगण का नाम इसलिए लिखवाया था क्योंकि अभियुक्तगण ने ही उसके घर के अंदर घुसकर मारपीट की थी। कंचन (अ.सा.-10) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त ओमकार ने उसके कान पर कुल्हाड़ी मारा था। यद्यपि साक्षी ने सुझाव दिये जाने पर यह बताया है कि उसने पुलिस को ऐसा नहीं बताया था कि कुल्हाड़ी से अभियुक्त प्रकाश ने मारा था और अभियुक्त अर्जुन, ठोटा, दीपक, बली ने लकड़ी से मारपीट की थी।

32 रामदयाल (अ.सा.-8) एवं ईमाबाई (अ.सा.-11) ने यह बताया है कि वे आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे थे और देखा था कि अभियुक्तगण लाठी, कुल्हाड़ी लेकर फरियादीगण की मारपीट कर रहे हैं। रामदयाल (अ.सा.-8) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने अभियुक्तगण को पत्थर मारते देखा था और इस सुझाव को भी गलत बताया है कि उसने अभियुक्तगण को पहचाना नहीं था। साक्षी ने यह भी गलत होना बताया है कि उसने घटना नहीं देखी

थी। ईमाबाई (अ.सा.-11) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जब वह मौके पर पहुंची थी तब सभी लोग मौके पर ही थे।

33 भागवतीबाई (अ.सा.-1), रामनाथ (अ.सा.-2), बद्रीनाथ (अ.सा.-4), मेमवती (अ.सा.-5), भागरती (अ.सा.-6), कंचन (अ.सा.-10) अभियुक्तगण द्वारा उनके घर पर लाठी एवं कुल्हाड़ी के साथ घुसकर मारपीट करने के तथ्य पर पूर्णतः स्थिर हैं। साक्षी भागरती समस्त अभियुक्तगण के उसके घर पर घुसने के कथन पर पूर्णतः अखंडित है। यद्यपि साक्षी रामनाथ ने यह बताया है कि अभियुक्त दीपक, रमेश, बली ने उसके साथ मारपीट नहीं की थी परंतु इस साक्षी ने भी यह बताया है कि उपर्युक्त तीनों अभियुक्तगण भी उसके घर पर आये थे। बद्रीनाथ (अ.सा.-4) एवं भागरती (अ.सा.-6) भी सभी अभियुक्तगण के घर पर घुसने और उनके साथ मारपीट किये जाने के तथ्य पर पूर्णतः अखंडित रहे हैं। साथ ही साक्षी रामदयाल और ईमाबाई ने आवाज सुनकर मौके पर आना बताया है और स्वयं के द्वारा घटना देखा जाना भी बताया है। अब यदि तर्क के लिए यह माना भी जाये कि साक्षी रामदयाल और ईमाबाई ने संपूर्ण घटना नहीं देखी थी तब भी उपर्युक्त साक्षीगण के मौके पर उपस्थित रहने से आहतगण/साक्षीगण के कथनों की आंशिक संपुष्टि होती है। यद्यपि साक्षीगण भागवतीबाई (अ.सा.-1), रामनाथ (अ.सा.-2), बद्रीनाथ (अ.सा.-4), मेमवती (अ.सा.-5), भागरती (अ.सा.-6), कंचन (अ.सा.-10) के कथनों में कुछ विरोधाभास हैं परंतु वह मात्र प्रकटीकरण में भिन्नता है और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि जब बहुत सारे व्यक्ति एक साथ मिलकर मारपीट कर रहे हो तो वह यह बता पाये कि किसके प्रहार से किसको चोट आयी थी। साथ ही प्रकरण में साक्षी/आहतगण के कथन घटना के लगभग पांच वर्ष बाद हुए हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति से घटना का सचित्र वर्णन प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत *State of Rajasthan Vs Abdul Mannan (2011) 8 SCC 65* में प्रतिपादित विधि "*Variations in minor details of the incident are immaterial, unless discrepancy in the entire statement erodes credibility of the witness himself.*" अतः विरोधाभास के संबंध में भी बचाव अधिवक्ता का तर्क मान्य नहीं किया जा सकता।

34 बचाव अधिवक्ता का यह तर्क कि फरियादी, आहतगण एवं अन्य साक्षी रामदयाल एवं ईमाबाई हितबद्ध साक्षी हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में साक्षी बद्रीनाथ, रामनाथ, भागवती, भागरती, मेमवती, कंचन एक ही परिवार के होने के साथ-साथ आहतगण भी हैं। अन्य साक्षी रामदयाल एवं ईमाबाई फरियादी के परिवार के हैं। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि मात्र आहत व्यक्ति का संबंधी होना किसी को मामले का हितबद्ध साक्षी नहीं बना देता है। हितबद्ध साक्षी मात्र वहीं हो सकता है जिसे मामले के परिणाम से कोई

लाभ होता हो अथवा मामले के परिणाम से जिसके विरोधी को कोई हानि होती हो। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **न्याय दृष्टांत State of Rajasthan Vs Smt. Kalki, AIR 1981 SC 1390** में यह अवधारित किया गया है कि *"A witness may be called interested only when he or she derives some benefit from the result of the litigation; in the decree of a civil case or seeing an accused person punished in a criminal case. A witness who is a natural one and is the only possible eye witness in the circumstances of the case can not be said to be interested."* अतः बचाव अधिवक्ता का आहतगण एवं अन्य साक्षीगण का एक ही परिवार के होने के कारण हितबद्ध होने का तर्क भी मान्य नहीं किया जा सकता।

35 इसके अतिरिक्त घटना में भागवतीबाई (अ.सा.-1), रामनाथ (अ.सा.-2), बद्रीनाथ (अ.सा.-4), मेमवती (अ.सा.-5), भागरती (अ.सा.-6), कंचन (अ.सा.-10) आहत हुए थे। आहत घटना का सर्वोत्तम साक्षी होता है, किसी घटना में आहत हुए व्यक्ति की साक्ष्य की विश्वसनीयता के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **न्याय दृष्टांत Abdul Sayeed Vs State of Madhya Pradesh, (2010) 10 SCC 259** में यह प्रतिपादित किया गया है कि – *"The law on the point can be summarised to the effect that the testimony of the injured witness is accorded a special status in law. This is as a consequence of the fact that the injury to the witness is an in-built guarantee of his presence at the scene of the crime and because the witness will not want to let his actual assailant go unpunished merely to falsely implicate a third party for the commission of the offence. Thus, the deposition of the injured witness should be relied upon unless there are strong grounds for rejection of his evidence on the basis of major contradictions and discrepancies therein."* हाल ही में उपरोक्त विधि को पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायमूर्तिगण की पूर्ण पीठ द्वारा **Balwan & Ors V/s State of Haryana 2014 LawSuit(SC) 627** में इन शब्दों में स्थापित कर दिया गया है कि – *"It is trite law that the evidence of injured witness, being a stamped witness, is accorded a special status in law. This is as a consequence of the fact that injury to the witness is an inbuilt guarantee of his presence at the scene of the crime and because the witness would not want to let actual assailant go unpunished."*

36 बचाव अधिवक्ता का एक अन्य महत्वपूर्ण तर्क यह रहा है कि उभयपक्ष के मध्य रंजिश है। इस संबंध में सभी अभियोजन साक्षीगण भागवतीबाई (अ.सा.-1), रामनाथ (अ.सा.-2), बद्रीनाथ (अ.सा.-4), मेमवती (अ.

सा.-5), भागरती (अ.सा.-6), कंचन (अ.सा.-10), रामदयाल (अ.सा.-8), ईमाबाई (अ.सा.-11) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उनकी अभियुक्तगण के परिवार से विगत कई वर्षों से रंजिश चली आ रही है। साक्षीगण ने यह भी बताया है कि दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर से एक-दूसरे के उपर मामले बने हैं। इस प्रकार बचाव पक्ष ने यह स्थापित किया है कि उभयपक्ष के मध्य में रंजिश है परंतु रंजिश के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि रंजिश बचाव का भी आधार हो सकती है और मारपीट का भी हेतुक हो सकती है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **न्याय दृष्टांत *Kailash Gour Vs. State of Assam (2012) 2 SCC 34*** में यह प्रतिपादित किया गया है कि *"Enmity being a double edged weapon, there could be motive on either side for commission of offences as also for false implication"* अर्थात् रंजिश अपने आप में साक्षियों पर विश्वास न करने का कोई आधार नहीं होती है। अभिलेख पर अभियुक्तगण द्वारा आहतगण की मारपीट किये जाने के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष को रंजिश से भी कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

37 उपर्युक्त साक्ष्य विवेचन से यह स्पष्ट है कि घटना के समय सभी अभियुक्तगण घटना स्थल पर उपस्थित थे एवं उनकी ओर से आहतगण के साथ मारपीट करने और मारपीट से आहतगण को चोट आने तथा आहत रामनाथ को अस्थिभंग होने के संबंध में भागवतीबाई (अ.सा.-1), रामनाथ (अ.सा.-2), बद्रीनाथ (अ.सा.-4), मेमवती (अ.सा.-5), भागरती (अ.सा.-6), कंचन (अ.सा.-10) की साक्ष्य स्पष्ट अखंडित एवं पूर्णतः विश्वसनीय रही है। साथ ही उनकी साक्ष्य की पुष्टि तुरंत लेखबद्ध करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट एवं अन्य साक्षी रामदयाल एवं ईमाबाई की साक्ष्य से भी होती है। तदनुसार युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्तगण घटना के समय घटना स्थल पर उपस्थित थे और वे आहतगण के साथ मारपीट करने के लिए ही घटना स्थल पर आये थे और उन्होंने मारपीट कर आहत रामनाथ को घोर उपहति तथा अन्य आहतगण को उपहति कारित की थी।

38 अभियुक्तगण की संख्या पांच से अधिक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 141(3) यह प्रावधानित करती है कि पांच अथवा उससे अधिक व्यक्तियों का समूह यदि किसी अपराध के लिए एकत्रित होता है तो उसके जवाम को विधि विरुद्ध जमाव की श्रेणी में रखा जायेगा। चूंकि अभियुक्तगण मारपीट करने के आशय से ही खतरनाक आयुध कुल्हाड़ी एवं लाठी से सुसज्जित होकर घटना स्थल पर एकत्रित हुए थे और उन्होंने आहतगण को देखते ही हमला कर दिया था। इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि अभियुक्तगण द्वारा किये गये जमाव का सामान्य उद्देश्य आहतगण के साथ

मारपीट करना था। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा किया गया जमाव विधि विरुद्ध जमाव की श्रेणी में आता है।

39 प्रकरण में यह प्रमाणित हो चुका है कि अभियुक्तगण अथवा उनमें से किसी ने आहत रामनाथ पर हमला कर उसे घोर उपहति एवं अन्य आहतगण को उपहति कारित की थी, इसलिए यह भी प्रमाणित होता है कि अभियुक्तगण द्वारा किये गये विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य आहतगण के साथ मारपीट करने के क्रियान्वयन में अभियुक्तगण ने अथवा उनमें से किसी ने बल व हिंसा का प्रयोग किया था।

विचारणीय प्रश्न क. 12 का निराकरण

40 घटना स्थल पर सभी अभियुक्तगण की उपस्थिति प्रमाणित हो चुकी है। उनके विरुद्ध यह भी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित हो चुका है कि अभियुक्तगण ने विधि विरुद्ध जमाव किया जिसका सामान्य उद्देश्य आहतगण के साथ मारपीट करना था। यह भी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित हो चुका है कि अभियुक्तगण अथवा उनमें से किसी ने आहतगण पर हमला कर आहत रामनाथ को घोर उपहति तथा अन्य आहतगण को उपहति कारित की थी। ऐसी स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अनुसार यही अनुमान लगाया जायेगा कि अभियुक्तगण ने ऐसा उक्त विधि विरुद्ध जमाव के अपने सामान्य उद्देश्य के क्रियान्वयन में किया था। अतः उपर्युक्त विचारणीय प्रश्न भी प्रमाणित पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क. 11 का निराकरण

41 अभियुक्तगण का एक साथ मौके पर आना तथा फरियादी एवं आहतगण की मारपीट करना यह दर्शित करता है कि वे अपने द्वारा किये जा रहे कृत्य के संभावित परिणाम को जानते थे। अतः उनका यह कृत्य स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे कि यह दर्शित हो कि अभियुक्तगण को प्रकोपन दिया गया हो।

विचारणीय प्रश्न क. 13 का निराकरण

42 साक्षी भागवतीबाई (अ.सा.-1), रामनाथ (अ.सा.-2), बद्रीनाथ (अ.सा.-4), मेमवती (अ.सा.-5), भागरती (अ.सा.-6), कंचन (अ.सा.-10) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने उनके घर में मोबाईल, टीवीएस कम्पनी की मोटर सायकिल एवं पत्थर मारकर घर के कवेलू, सीमेंट सीट तोड़ दिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षीगण अपने कथनों पर अखंडित रहे हैं।

43 साक्षी मुकेश (अ.सा.-14) ने यद्यपि अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में अपने समक्ष नुकसानी पंचनामा (प्रदर्श पी-6) तैयार करना नहीं बताया है परंतु साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है। साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि पुलिस जब फरियादी के घर पर आयी थी तब टेलीफोन, मोटर सायकिल का इंडीकेटर, कवेलू, सीमेंट सीट टूटा होना पाया था। साक्षी ने यह भी बताया है कि पुलिस ने उसके समक्ष नुकसानी पंचनामा (प्रदर्श पी-6) तैयार किया था परंतु प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसके कुछ कागजों पर हस्ताक्षर ले लिए गये थे। इस प्रकार यह साक्षी अपने कथनों पर स्थिर नहीं है। अतः उस पर विश्वास किया जाना सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है।

44 जगदीश उर्फ जगन्नाथ (अ.सा.-12) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि उसके सामने पुलिस फरियादी भागरती के घर की जांच करने आयी थी। पुलिस ने मौके पर मोटर सायकिल, कवेलू, लाईट, मोबाईल टूटा फूटा पाया था। साक्षी ने यह भी बताया है कि नुकसानी बहुत हुई थी परंतु कितने रुपये की हुई थी वह नहीं बता सकता है और उसके सामने ही नुकसानी पंचनामा (प्रदर्श पी-6) तैयार किया गया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं परंतु प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसने कोरे कागज पर हस्ताक्षर किये थे। इस प्रकार यह साक्षी भी अपने कथनों पर स्थिर नहीं है। अतः इस पर भी विश्वास किया जाना सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है।

45 साक्षी रामदयाल (अ.सा.-8) ने भी अभियुक्तगण द्वारा ईंट पत्थर फेंकना बताया है तथा प्रतिपरीक्षण में रामदयाल ने यह भी बताया है कि पत्थर अभियुक्तगण ही मार रहे थे और उसने मना भी किया था। ईमाबाई (अ.सा.-11) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसके सामने मोटर सायकिल पर लाठी अभियुक्त ने मारी थी। यद्यपि साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 05 में ही यह बताया है कि उसने पुलिस को ऐसा नहीं बताया था कि अभियुक्तगण ने पत्थर मारकर टेलीफोन, मोटर सायकिल तोड़फोड़ दी है। साक्षी ईमाबाई (अ.सा.-11) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त अर्जुन द्वारा लाठी से मोटर सायकिल पर मारना बताया है। इसी साक्षी ने अभियोजन द्वारा सुझाव दिये जाने पर यह बताया है कि अभियुक्तगण ने तोड़फोड़ कर घर का कई सामान तोड़ दिया था।

46 साक्षीगण भागवतीबाई (अ.सा.-1), रामनाथ (अ.सा.-2), बद्रीनाथ (अ.सा.-4), मेमवती (अ.सा.-5), भागरती (अ.सा.-6), कंचन (अ.सा.-10) न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा उनके घर के सामान की तोड़फोड़ किये जाने के कथन पर पूर्णतः अखंडित रहे हैं। नक्शा मौका (प्रदर्श पी-2) के अवलोकन से नक्शे में लाल स्याही से चिह्नित स्थानों पर कवेलू टूटे एवं ईंट

टूटी पड़ी होना दर्शित हो रहा है। साथ ही नक्शे मौके में यह भी लेख है कि अभियुक्तगण ने फरियादी के घर पर पत्थर व ईंट फेंककर मारे हैं। स्पष्टतः उपलब्ध साक्ष्य से यह भी प्रमाणित होता है कि अभियुक्तगण ने फरियादी बट्टीनाथ के सामान, टेलीफोन, मोटर सायकल, मकान के कवेलू, सीमेंट शीट को तोड़कर नुकसान कारित किया।

विचारणीय प्रश्न क. 15 का निराकरण

47 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थी बट्टीनाथ को अश्लील शब्द मां बहन की गालियां उच्चारित कर क्षोभ पहुंचाया एवं सूचनाकर्ता बट्टीनाथ को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना के समय विधि विरुद्ध जमाव कर उसके सामान्य उद्देश्य के क्रियान्वयन में बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया था तथा घटना के समय फरियादी बट्टीनाथ के घर में उपहति कारित करने की तैयार के साथ प्रवेश कर सामान्य उद्देश्य के क्रियान्वयन में आहतगण बट्टीनाथ, मेमवती, भग्गोबाई, भागरती, कंचन के साथ मारपीट कर उन्हें गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया उपहति तथा आहत रामनाथ को घोर उपहति कारित की तथा फरियादी बट्टीनाथ के घर में रखे सामानों की तोड़फोड़ कर रिष्टि कारित की। फलतः अभियुक्तगण प्रकाश, टोटा, अर्जुन, ओमकार, दीपक, रमेश एवं बली को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 148, 452, 323/149(पांच काउंट में), 325/149, 427 भा.दं. सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

48 अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

49 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है

कि यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। साथ ही सभी अभियुक्तगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध विधि विरुद्ध जमाव कर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में फरियादी एवं आहतगण के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति एवं स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उन्हें अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

50 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा फरियादी एवं आहतगण के साथ विधि विरुद्ध जमाव कर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में मारपीट कर आहत रामनाथ को घोर उपहति एवं आहतगण बद्रीनाथ, मेमवती, भगगोबाई, रामनाथ, भागरतीबाई, कंचन को साधारण उपहति कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अभियुक्तगण ने खेत में भैंस के विवाद पर से एक साथ फरियादी के घर पर घुसकर परिवार के कई लोगों के साथ मारपीट की है। अपराध कारित करते समय अभियुक्तगण अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम थे, अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

51 अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। घटना में अभियुक्तगण द्वारा विधि विरुद्ध जमाव कर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में फरियादी एवं आहतगण के साथ मारपीट कर उन्हें उपहति पहुंचायी गयी है। प्रकरण के संपूर्ण तर्कों एवं परिस्थितियों को विचार में लेने के पश्चात तथा अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्तगण को मात्र अर्थदंड से दंडित किया जाना उचित नहीं है। फलतः अभियुक्तगण प्रकाश, टोटा, अर्जुन, ओमकार, दीपक, रमेश एवं बली को निम्नानुसार दंड से दंडित किया जाता है :-

धारा	सश्रम कारावास	अर्थदंड	जुर्माना अदा करने की दशा में सश्रम कारावास
148	3 माह	कुछ नहीं	कुछ नहीं
452	6 माह	100 /—	7 दिवस
323 / 149 (पांच काउंट में)	6 माह (प्रत्येक शीर्ष हेतु)	200 /— (प्रत्येक शीर्ष हेतु)	एक माह
325 / 149	1 वर्ष	500 /—	एक माह
427	3 माह	200 /—	15 दिवस

52 मूल कारावास के समस्त दंड साथ-साथ भुगताये जाये।

53 प्रकरण में जप्तशुदा चार बांस की लाठी एवं एक लोहे की कुल्हाड़ी अपील अवधि पश्चात तोड़कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

54 प्रकरण में फरियादी एवं आहतगण एक ही परिवार के हैं। अतः धारा 357(1) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की राशि में से 7,000/- रुपये परिवार के बड़े सदस्य आहत रामनाथ पिता जमदू यादव, निवासी डोंडावानी, थाना आमला, जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

55 अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लिया जाये एवं उनका सजा वारंट तैयार किया जाये। प्रकरण में अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभियुक्तगण द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को कारावास की मूल अवधि में समायोजित किया जाकर शेष कारावास की सजा भुगताये जाने हेतु अभियुक्तगण को उप जेल मुलताई भेजा जावे एवं इस संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

56 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)